



उत्तर प्रदेश पीएसी मुख्यालय, लखनऊ

महानगर लखनऊ-226006

फोन : 0522-2337455

फैक्स नं० : 0522-2337453

सीयूजी कंट्रोल रूम : 9454404470

Email : sec1@uppac.net

पत्रांक:पीएसी-1-152(1)2013(2)/2414

दिनांक : जुलाई 31, 2019

सेवा में,

1. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी उत्तर प्रदेश।
3. सेनानायक, विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी उत्तर प्रदेश।
4. पुलिस अधीक्षक, ए०टी०एस०, उ०प्र० लखनऊ।
5. पुलिस अधीक्षक, एस०टी०एफ० उ०प्र० लखनऊ।
6. पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण एवं सुरक्षा) सुरक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
7. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार संगठन, उ०प्र० लखनऊ।
8. पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
9. समस्त प्रभारी, प्रशिक्षण संस्थान/आर०टी०सी०, उ०प्र०।
10. सेनानायक, एस०डी०आर०एफ०, लखनऊ।
11. पुलिस अधीक्षक, सर्तकता अधिष्ठान, लखनऊ।
12. पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना विभाग, लखनऊ।
13. पुलिस अधीक्षक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ।
14. पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।
15. पुलिस अधीक्षक, सी०बी०सी०आई०डी०, लखनऊ।
16. पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
17. पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
18. पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
19. अपर पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय वस्त्र भण्डार, कानपुर।
20. अपर पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व, सीतापुर।

विषय:

वर्ष 2014 तक के भर्ती आरक्षी पीएसी/मुख्य आरक्षी (विशेष श्रेणी)/सशस्त्र पुलिस/आरक्षी डी०आर०/आरक्षी बिगुलर की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन।

मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्तावित चयन प्रक्रिया के दृष्टिगत वर्ष 2014 तक भर्ती आरक्षी पीएसी/मु०आ०(विशेष श्रेणी)/आरक्षी सशस्त्र पुलिस/आरक्षी डी०आर०/आरक्षी बिगुलर की **अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन** किया जा रहा है। **ज्येष्ठता** उ०प्र० प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 में निहित व्यवस्था के अनुसार **निम्नवत निर्धारित** की गई है:-

1. भर्ती की तिथि के अनुसार।
2. भर्ती की तिथि समान हो तो उनकी जन्मतिथि के अनुसार।
3. यदि एक से अधिक आरक्षियों की आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्मतिथि भी समान हो तो हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार अवधारित की जायेगी।

2. यह सूची उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर पीएसी शीर्षक में सरकुलर के अन्तर्गत उपलब्ध है।

3. ज्येष्ठता सूची का परीक्षण करा लें यदि आपकी वाहिनी/जनपद/कार्यालय के वर्ष 2014 तक के भर्ती किसी आरक्षी पीएसी/मुख्य आरक्षी(विशेष श्रेणी)/आरक्षी सशस्त्र पुलिस/डिस्पैच राइडर/बिगुलर का नाम छूटा है, अथवा सेवा अभिलेखों के अनुसार किसी कर्मी की भर्ती की तिथि, जन्मतिथि व अन्य प्रविष्टियाँ त्रुटिपूर्ण अंकित है तो इस सम्बन्ध में साक्ष्य सहित स्थिति से अवगत कराया जाये।

4. अपनी वाहिनी/जनपद/कार्यालय से सम्बन्धित वर्ष 2014 तक के भर्ती आरक्षी पीएसी/मुख्य आरक्षी(विशेष श्रेणी)/आरक्षी सशस्त्र पुलिस/डिस्पैच राइडर/बिगुलर को तदनुसार सूचित कर दें यदि किसी को उनकी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है, तो वह दिनांक 20.08.2019 तक अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से अवगत करा सकता है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित कर्मी की आपत्ति पर अपनी आख्या दिनांक 25.08.2019 तक उपलब्ध करायेगें। दिनांक 20.08.2019 के बाद किसी कार्मिक की आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी और दिनांक 25.08.2019 के पश्चात किसी कार्यालयाध्यक्ष की आख्या स्वीकार नहीं की जायेगी।

(एन० चौधरी)
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उ०प्र० लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ०प्र०।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक पीएसी जोन उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उ०प्र०।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना", उ०प्र०, लखनऊ।
7. पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।